GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
SERVICES DEPARTMENT (SERVICES-I BRANCH)
DELHI SECRETARIAT, 5TH LEVEL, 'B' WING,
I.P. ESTATE, NEW DELHI – 110002
(http://services.delhi.gov.in)

F.No. 2/9/2024/S.I/2552-2557

Dated: 22/07/2025

To,

1. All Addl. Chief Secretaries/ Pr. Secretaries/ Secretaries/ Heads of Department/ Local and Autonomous Bodies, Govt. of NCT of Delhi.

2. Member Secretary, National Capital Civil Service Authority (NCCSA)/Pr. Secretary (Home), 5th Level, C-Wing, Delhi Secretariat, New Delhi.

Sub : Forwarding of Notification regarding framing of Subordination Legislation the Government of National Capital Territory of Delhi (Conditions of Services of Officers and Other Employees) Rules, 2025.

Madam /Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Notification No. S.O. No. 453(E) dated 07/07/2025 on the subject cited above published in the official Gazette of India as received from Ministry of Home Affairs, GoI vide their letter F. No. 14012/06/2023-Delhi-I dated 08/07/2025 for information and necessary action.

Yours faithfully,

Encl: As above

21.7.25

(Jitendra Kumar Arora)
Deputy Secretary (Services)
Dated: 22/07/2025

F.No. 2/9/2024/S.I/2552-2557
Copy for information to the:-

1. PS to Pr. Secretary to Lt. Governor, Delhi.
2. PS to Secretary to Chief Minister, Delhi.
3. The Staff Officer to Chief Secretary, Delhi.
4. The Section Officer (Coord.), Services Deptt, GNCT of Delhi with the direction to upload this notification on website of Services Deptt.

21.7.25

(Jitendra Kumar Arora)
Deputy Secretary (Services)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07072025-264439
CG-DL-E-07072025-264439

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 410] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 7, 2025/आषाढ़ 16, 1947
No. 410] NEW DELHI, MONDAY, JULY 7, 2025/ASHADHA 16, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 453(अ).—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 45ग और धारा 45ट की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कार्यकलापों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

I. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और अनुप्रयोग-** (1) इन नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) नियमावली, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

(3) ये नियम अधिनियम की धारा 45क के खंड (झ), (ञ) और (ट) में परिभाषित सभी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर लागू होंगे।

2. **परिभाषा-** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 (1992 का 1);

(ख) "धारा" से तात्पर्य है अधिनियम की धारा;

(ग) "सेवा मामले" से तात्पर्य है सेवा की शर्तों से संबंधित सभी मामले, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं, -

(i) वेतन और भत्ते, भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों सहित पारिश्रमिक;

(ii) नियुक्त या तैनात अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य;

(iii) पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की योग्यता और नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया;

(iv) स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति, प्रत्यावर्तन, समयपूर्व सेवानिवृत्ति और अधिवर्षिता सहित कार्यकाल।;

(v) किसी भी प्रकार की छुट्टी;

(vi) कारण बताओ नोटिस जारी करने और निलंबन सहित अनुशासनिक मामले और अभियोजन की मंजूरी;

(vii) स्थानान्तरण और तैनाती;

(viii) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों या नियुक्त या तैनात व्यक्तियों की सेवा की अन्य शर्तें; और

(ix) सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक या अपेक्षित कोई अन्य मामला;

(घ) "सेवा नियम" से तात्पर्य है नियम 3 में निर्दिष्ट कोई भी नियम।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में है।

3. नियमों का अनुप्रयोग- नियम केन्द्रीय सरकार या दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा उसके अधीन जारी किए गए आदेशों सहित, निम्नलिखित के मामले में लागू होंगे-, -

(i) भारतीय पुलिस सेवा को छोड़कर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सेवारत हैं और धारा 45 ज के प्रावधानों, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) के तहत बनाए गए नियमों, और किसी भी अन्य नियम, विनियमन, आदेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, दिशानिर्देश द्वारा शासित, और ऐसे अन्य मामले जो केंद्र सरकार या उपराज्यपाल द्वारा उन पर लागू किए गए हैं, के अधीन होंगे;

(ii) दानिक्स के अधिकारी जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में सेवारत हैं, और धारा 45 ज के प्रावधानों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण और दीव और दादरा और नगर हवेली (सिविल सेवा) नियमावली, 2003, और किसी अन्य नियम, विनियमन, आदेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, दिशानिर्देश द्वारा शासित, और ऐसे अन्य मामले जो केंद्र सरकार या उपराज्यपाल द्वारा उन पर लागू किए गए हैं, के अधीन होंगे;

स्पष्टीकरण- जहां भी किसी नियम, विनियम, आदेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, दिशानिर्देश और ऐसे अन्य मामले में शब्द "राज्य" या "राज्य सरकार" या "संबंधित राज्य सरकार" या "संघटक राज्य" निर्दिष्ट हैं, उसका तात्पर्य भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार गृह मंत्रालय से होगा;

(iii) अन्य सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निम्नलिखित द्वारा शासित किया जाएगा, अर्थात्: -

(क) यात्रा भत्ता नियमों सहित मौलिक नियम और अनुपूरक नियम;

(ख) केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972;

(ग) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021;

(घ) केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का रूपांतरण) नियम, 1981;

(ड) पेंशन के बकाया का भुगतान (नामांकन) नियम, 1983;

(च) सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय नियम), 1960;

(छ) केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964;

(ज) केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965;

(झ) केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश यात्रा रियायतें) नियम, 1988;

(ण) केंद्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2016;

(ट) केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1955; और

(ठ) केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कोई अन्य नियम, विनियम, आदेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, दिशानिर्देश और ऐसे अन्य मामले, जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है:

परन्तु इस नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उप-राज्यपाल द्वारा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए जारी किए गए नियम या विनियम, आदेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, दिशा-निर्देश और ऐसे अन्य विषय तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि अधिनियम में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार संशोधन न कर दिया गया हो:

परन्तु यह यह भी कि धारा 45घ के खंड (ख) के निबंधनों के अनुसार सांविधिक पदों पर नियोजित गैर-शासकीय और अन्य व्यक्तियों की सेवा शर्तें, प्राधिकरण की सिफारिश पर उप-राज्यपाल द्वारा अवधारित की जा सकेंगी:

परन्तु यह भी कि अधिनियम की धारा 45घ के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार सांविधिक पदों पर नियोजित गैर-शासकीय और अन्य व्यक्तियों की सेवा शर्तें और गैर-सांविधिक पद केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएँगी।

4. सरकार द्वारा सेवा मामलों का निपटान – अधिनियम की धारा 45ज के तहत प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों को छोड़कर सभी सेवा मामलों का निपटान राष्ट्रपति या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जैसा कि संबंधित सेवा नियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है, या यथोचित परिवर्तनों के साथ केन्द्रीय सरकार या उपराज्यपाल द्वारा जारी किए गए आदेशों द्वारा किया जाता है।

5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मामलों के संबंध में पदों का सृजन – (1) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, उपराज्यपाल, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के कार्यकलाप के सम्बन्ध में, निम्नलिखित कार्यों के लिए शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा–

(i) समूह क, समूह ख और समूह ग में सभी पदों का सृजन;

(ii) किसी भी नई सेवाओं का गठन;

(iii) बोर्ड स्तर के सभी पदों या समकक्ष, या अन्य का सृजन;

(iv) सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रस्तावित सभी पदों का सृजन; और

(v) गैर-सरकारी कार्मिकों नियुक्ति द्वारा संचालित सभी पदों का सृजन; और

(vi) सार्वजनिक प्राधिकारियों के रूप में या अन्यथा गैर-सरकारी व्यक्तियों की नियुक्ति:

परन्तु यह कि पदों या सेवाओं के सृजन या यथास्थिति, गैर-सरकारी लोगों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उप-राज्यपाल को पहले से प्रत्यायोजित शक्तियों के मामले में ऐसे पूर्वानुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी: और

परंतु यह भी कि ऐसी शक्ति का प्रयोग समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य और विशिष्ट अनुदेशों के अध्यधीन होगा।

6. राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की बैठकें - (1) किसी अन्य नियम, विनियम, आदेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, दिशा-निर्देश और ऐसे अन्य विषय में किसी बात के होते हुए भी, संबंधित विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रानिक पद्धति अर्थात् ई-ऑफिस के माध्यम से सीधे प्राधिकरण के सदस्य-सचिव को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

(2) सदस्य-सचिव, उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव की प्राप्ति पर, ऐसे प्रस्ताव को छोड़कर, जो प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और जिसे लौटाया जाना है, दो कार्य दिवसों के भीतर, प्रस्ताव को इलेक्ट्रॉनिक मोड अर्थात ई-ऑफिस के माध्यम से उस प्राधिकरण के सभी सदस्यों को परिचालित करेगा।

(3) राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की बैठक यथाशीघ्र और किसी भी दशा में सदस्य सचिव द्वारा संबंधित विभाग की कार्यसूची प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर ही होगी और प्राधिकरण की उक्त बैठक भौतिक रूप से या वर्चुअल माध्यम से या परिचालन के माध्यम से हो सकेगी:

परंतु यह कि अवधि के भीतर प्राधिकरण की बैठक का आयोजन न होने की स्थिति में, उक्त बैठक, कोरम की न्यूनतम उपस्थिति के अधीन रहते हुए उस अवधि की समाप्ति के बाद अगले कार्य दिवस पर आयोजित की जाएगी।

(4) प्राधिकरण के सदस्य-सचिव प्राधिकरण की बैठक के पांच कार्य दिवसों की अवधि के भीतर इलेक्ट्रॉनिक मोड अर्थात् ई-ऑफिस के माध्यम से उपराज्यपाल के विचारार्थ प्राधिकरण की सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।

(5) उप-राज्यपाल उपनियम (4) में निर्दिष्ट सिफारिश पर आदेश पारित करेंगे और ऐसी सिफारिश पर कोई आदेश पारित करने से पहले, वह संबंधित विभाग के सचिव से कोई भी जानकारी मांग सकते हैं जो ऐसी मांग की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों की अवधि के भीतर प्रदान की जाएगी।

(6) यदि उप-राज्यपाल प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिश से सहमत नहीं होते हैं, चाहे वह मांगी गई सूचना पर आधारित हो या अन्यथा, तो वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, उक्त प्राधिकरण को पुनर्विचार के लिए सिफारिश वापस कर सकता है।

(7) उपनियम (6) में निर्दिष्ट सिफारिश प्राप्त होने पर, प्राधिकरण अपनी अगली बैठक में उक्त सिफारिश पर नए एजेंडे के रूप में पुनर्विचार करेगा, और इस नियम के प्रावधानों के अनुसार सिफारिशें करेगा।

(8) यदि उपनियम (5) में निर्दिष्ट असहमति का समाधान प्राधिकरण की नई सिफारिश पर विचार करने के पश्चात नहीं होता है तो उपराज्यपाल एक आदेश पारित करेंगे जो अंतिम होगा।

7. अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं तैनाती- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी अधिकारी का स्थानांतरण और तैनाती, इन नियमों के उपबंधों के साथ पठित धारा 45 ज के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, किसी दानिक्स अधिकारी या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से भिन्न किसी समूह 'क' अधिकारी का स्थानांतरण और तैनाती इन नियमों के उपबंधों के साथ पठित धारा 45 ज के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

(3) (i) भर्ती के पश्चात् प्रारंभिक तैनाती तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किसी समूह 'ख' अधिकारी (दानिक्स के अलावा) और समूह 'ग' अधिकारी का एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा:

बशर्ते कि उपराज्यपाल, यदि वह उचित समझें, इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट करने वाला आदेश जारी कर सकते हैं;

(ii) आधिकारिक विभागाध्यक्ष अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन विभाग के भीतर समूह 'ख' अधिकारी या समूह 'ग' अधिकारी की तैनाती के लिए उत्तरदायी होगा और जब ऐसा अधिकारी तैनात कर दिया गया है और ऐसे विभाग के अधीन रख दिया गया है, तो उसके पश्चात् वह खंड (i) के उपबंधों के अनुसार शासित होगा।

(4) आधिकारिक विभागाध्यक्ष अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को दायित्व और कार्य आवंटित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) यदि संबंधित आधिकारिक विभागाध्यक्ष, अत्यावश्यक स्थिति में, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी, समूह 'क' अधिकारी या दानिक्स के अधिकारी के मामले में उपराज्यपाल, या अन्य कर्मचारियों के मामले में मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को तैनाती के स्थान से कार्यमुक्त करता है, तो ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार आगे की तैनाती के लिए अंडर पोस्टिंग रखा जाएगा।

8. अनुशासनात्मक कार्यवाही और अभियोजन स्वीकृति प्रदान करना, आदि- (1) अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रारंभ, किसी कानून के तहत किसी अपराध में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई जांच या पूछताछ या जांच-पड़ताल करने के लिए पूर्व अनुमोदन और अखिल भारतीय सेवा के किसी अधिकारी या किसी दानिक्स अधिकारी सहित किसी समूह 'क' अधिकारी के खिलाफ अभियोजन के लिए स्वीकृति प्रदान करने का कार्य, इन नियमों के प्रावधानों के साथ धारा 45 ज के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(2) अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना, किसी कानून के तहत किसी भी अपराध में किसी पुलिस अधिकारी द्वारा कोई जांच या पूछताछ या जांच-पड़ताल करने के लिए पूर्व अनुमोदन और किसी भी समूह 'ख' अधिकारी (दानिक्स अधिकारियों के अलावा) या समूह 'ग' अधिकारी के खिलाफ अभियोजन के लिए स्वीकृति देने का कार्य, सतर्कता निदेशालय के निदेशक या संबंधित विभाग के सतर्कता अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा सीधे ऐसे अधिकारी के नियुक्ति प्राधिकारी को की गई संस्तुति के आधार पर किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि सतर्कता निदेशालय के निदेशक या संबंधित विभाग के सतर्कता अधिकारी, जैसा भी मामला हो, और संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के बीच, की जाने वाली कार्रवाई को लेकर मतभेद का समाधान नहीं हो पाता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उचित निदेश के लिए अगले उच्चतर प्राधिकारी को मामला रिपोर्ट करेगा।

(3) मुख्य सतर्कता अधिकारी-सह-मुख्य सचिव, सतर्कता निदेशालय और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पर सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण रखेंगे।

9. सेवा मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य विभागों से पत्र व्यवहार- (1) उपराज्यपाल उन सभी विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करेंगे, जिन पर संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (3) के अधीन आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित है और ऐसे प्रत्येक मामले में वह संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के अनुसार ही कोई आदेश देंगे, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा करने के लिए उन्हें प्राधिकृत न किया जाए।

(2) किसी अन्य नियम, विनियम, आदेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, दिशानिर्देश और ऐसे अन्य मामले में निहित किसी भी बात के होते हुए भी और उप-नियम (1) के प्रावधानों के अधीन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित सेवा मामलों के बारे में संघ लोक सेवा आयोग या केंद्रीय सरकार या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

सरकार के भीतर या बाहर किसी भी विभाग के साथ सभी पत्राचार मुख्य सचिव या संबंधित विभाग के सचिव द्वारा या उसके प्राधिकार के तहत किया जाएगा।

10. उपराज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार की कुछ शक्तियों का प्रयोग - इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उपराज्यपाल, अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के संबंध में, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करना जारी रखेंगे जो उन्हें इन नियमों के उपबंधों और केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अधीन सौंपे गए हैं।

11. अवशिष्ट विषय- उपराज्यपाल, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात्, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित किसी मामले को विनियमित करने के लिए आदेश जारी कर सकेंगे, जिसके लिए इन नियमों में कोई प्रावधान नहीं है; और जब तक ऐसे आदेश जारी नहीं किए जाते, तब तक ऐसे मामलों को केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पर लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा ।

12. व्यावृत्ति- केन्द्रीय सरकार या उपराज्यपाल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी या आरंभ किए गए सभी भर्ती नियम, कोई अन्य नियम और कोई विनियम, आदेश, कार्यालय आदेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, दिशानिर्देश और सेवा विषयों से संबंधित ऐसे अन्य मामले और उनके अधीन कोई कार्यवाही, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 19) के प्रारंभ होने से पहले जारी किए गए हैं या आरंभ किए गए हैं, तब तक लागू रहेंगे जब तक कि केन्द्रीय सरकार या उपराज्यपाल या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, जैसा भी मामला हो, धारा 45 ज के उपबंधों के अधीन रहते हुए संशोधित नहीं किए जाते।

[फा. सं. 14012/06/2023-दिल्ली-I]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2025

G.S.R. 453(E).—In exercise of the powers conferred by section 45C and sub-section (1) of section 45K of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules relating to the affairs of the Government of the National Capital Territory of Delhi, namely: -

l. Short title, commencement and application.- (l) These rules may be called the Government of National Capital Territory of Delhi (Conditions of Service of Officers and Other Employees) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to all officers and other employees defined in clauses (i), (j) and (k) of section 45A of the Act.

2. Definitions.- (l)ln these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992);

(b) "section" means a section of the Act;

(c) "service matters" means all matters relating to the conditions of service, including, -

(i) remuneration, including salary and allowances, provident funds, pensions, gratuity and other retirement benefits;

(ii) powers, duties and functions of officers and other employees appointed or posted;

(iii) qualifications of candidates for appointment to the posts and the manner of selection for the appointments;

(iv) tenure, including confirmation, seniority, promotion, reversion, premature retirement and superannuation;

(v) leave of any kind;

(vi) disciplinary matters and sanctions for prosecution, including issuance of show cause notices and suspension;

(vii) transfers and postings;

(viii) other conditions of service of officers and other employees or persons appointed or posted; and

(ix) any other matter which is incidental to or necessary for the purpose of regulating the appointment and conditions of service of persons appointed to services and posts;

(d) "service rules" means any of the rules referred to in rule 3.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Application of rules.- The rules, including orders issued thereunder, by the Central Government or the Lieutenant Governor of Delhi, shall apply in case of, -

(i) the officers of All India Services, except Indian Police Service, who are serving in the affairs of the Government of National Capital Territory of Delhi and shall be, subject to the provisions of section 45H, governed by the rules made under the All-India Services Act, 1951 (61 of 1951), and any other rule, regulation, order, office order, circular, office memorandum, guideline, and such other matter made applicable to them by the Central Government or the Lieutenant Governor;

(ii) the officers of DANICS who are serving in the affairs of the Government of National Capital Territory of Delhi, and shall be, subject to the provisions of section 45H, governed by the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli (Civil Service) Rules, 2003, and any other rule, regulation, order, office order, circular, office memorandum, guideline, and such other matter made applicable to them by the Central Government or Lieutenant Governor;

Explanation-The words "State" or "State Government" or "State Government concerned" or "Constituent States", wherever referred to in any rule, regulation, order, office order, circular, office memorandum, guideline, and such other matter shall mean the Ministry of Home Affairs in accordance with the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961;

(iii) all other officers and employees shall be governed by following, namely: -

(a) the Fundamental Rules and Supplementary Rules including Travelling Allowance Rules;

(b) the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972;

(c) the Central Civil Services (Pension) Rules, 2021;

(d) the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, l98l;

(e) the Payment of Arrears of Pension (Nomination) Rules, 1983;

(f) the General Provident Fund (Central Rules), 1960;

(g) the Central Civil Service (Conduct) Rules, 1964;

(h) the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965;

(i) the Central Civil Services (Leave Travel Concessions) Rules, 1988;

(j) the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2016;

(k) the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1955; and

(l) any other rules, regulations, orders, office orders, circulars, office memorandums, guidelines, and such other matters issued by the Central Government for the Central Civil Services, which is not mentioned herein above:

Provided that subject to the provisions of this rule, the rules or regulations, orders, office orders, circulars, office memorandums, guidelines, and such other matters issued by the Lieutenant Governor for officers and other employees shall continue to be in force, until and unless amended in accordance with the provisions contained in the Act:

Provided further that the service conditions of non-officials and other persons employed on statutory posts in terms of clause (b) of section 45D, may be determined by the Lieutenant Governor on the recommendation of the Authority:

Provided also that the service conditions of non-officials and other persons employed on statutory posts in accordance with the provisions of clause (a) of section 45D of the Act and non-statutory posts shall be as determined by the Central Government.

4. Disposal of service matters by the Government. – All the service matters, other than those falling under the purview of the Authority under section 45H of the Act, shall continue to be disposed of by the President or any other authority as specified in the concerned service rules made or orders issued by the Central Government or the Lieutenant Governor, mutatis mutandis.

5. Creation of posts in connection with affairs of Government of National Capital Territory of Delhi. – (1) Subject to the prior approval of the Central Government, the Lieutenant Governor may, in connections with the affairs of the Government of National Capital Territory of Delhi, exercise the powers for–

(i) creation of all posts in Group A, Group B and Group C;

(ii) creation of any new services;

(iii) creation of all Board level posts or equivalent, or otherwise;

(iv) creation of all posts proposed to be operated by the appointment of a retired Government servant; and

(v) creation of all posts operated by appointment of non-officials; and

(vi) engagement of non-officials as public authorities or otherwise:

Provided that such prior approval shall not be required in case of powers already delegated to the Lieutenant Governor by the Central Government for creation of posts or services, or engagement of non-officials, as the case may be: and

Provided further that exercise of such power shall be subject to general and specific instructions issued by the Central Government from time to time.

6. Meetings of the National Capital Civil Service Authority. - (1) Notwithstanding anything contained in any other rule, regulation, order, office order, circular, office memorandum, guideline, and such other matter, the Official Head of Department concerned shall submit the proposal directly to the Member-Secretary of the Authority through electronic mode, that is, e-office.

(2) The Member-Secretary upon receipt of proposal referred to in sub-rule (1) shall circulate, except such proposal which does not fall within the purview of the Authority and which are to be returned, within two working days, such proposal to all members of the said Authority through electronic mode, that is, e-office.

(3) The National Capital Civil Service Authority shall meet as soon as possible and, in any case, not later than fifteen days from the date of receiving an agenda of any Department concerned by the Member-Secretary, and the said meeting of the Authority may take place physically or virtually or through circulation:

Provided that in case of non-convening of the meeting of the Authority within the period, the said meeting, subject to requirement of the quorum, shall be held on next working day after expiry of that period.

(4) The Member-Secretary to the Authority shall submit recommendations of the Authority for consideration of the Lieutenant Governor through electronic mode, that is, e-office, within a period of five working days of the meeting of the Authority.

(5) The Lieutenant Governor shall pass an order on the recommendation referred to in sub-rule (4) and before passing any order on such recommendation, he may call for any information from the Secretary of the concerned Department which shall be provided within a period of three working days of receipt of such requisition

(6) In case the Lieutenant Governor does not agree with the recommendation made by the Authority, whether based upon the information called for or otherwise, he may, for reasons to be recorded in writing, return the recommendation to the said Authority for reconsideration.

(7) On receipt of recommendation referred to in sub-rule (6), the Authority shall reconsider the said recommendation as a fresh agenda in its immediate next meeting, and shall make recommendations in accordance with the provisions of this rule.

(8) In case, the disagreement referred to in sub-rule (5) is not resolved after consideration of fresh recommendation of the Authority, the Lieutenant Governor shall pass an order which shall be final.

7. Transfers and postings of officers and other employees.- (1)Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any transfer and posting of an officer of Indian Administrative Service shall be done in accordance with provisions of section 45H read with the provisions of these rules.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, any transfer and posting of a DANICS officer or a Group 'A' officer other than officer of the Indian Administrative Service shall be done in accordance with provisions of section 45H read with the provisions of these rules.

(3)(i) The initial posting, after the recruitment, and the transfer from one Department to other Department of the Government of National Capital Territory of Delhi of any Group 'B' official (other than DANICS) and Group 'C' official shall be done by the appointing authority:

Provided that the Lieutenant Governor may, if he deems fit, issue order specifying the procedure to be followed by such appointing authority in this regard;

(ii) the Official Head of Department shall be responsible for the posting of a Group 'B' official or a Group 'C' official within the Department under his administrative control and once such official has been posted and placed at the disposal of such Department thereafter, he shall be governed in accordance with the provisions of clause (i).

(4) The Official Head of Department shall be responsible to allocate duties and functions to the officers and other employees working under his administrative control.

(5) In case, the Official Head of Department concerned, in exigencies, for reasons to be recorded in writing, after obtaining the approval of the Lieutenant Governor in case of officer of All India Services, Group 'A' officer or officer of DANICS, or the Chief Secretary in case of other employees, relieves such officer or employee from place of posting, then such officer or employee shall be placed under-posting, for further posting as per the provisions of these rules.

8. Disciplinary proceedings and grant of prosecution sanction, etc.-(1) The initiation of disciplinary proceedings, prior approval to conduct any enquiry or inquiry or investigation by a police officer into any offence under any law and grant of sanction for prosecution against a Group 'A' officer, including the officer of All India Services, or a DANICS officer, shall be done in accordance with the provisions of section 45H read with the provisions of these rules.

(2) The initiation of disciplinary proceedings, prior approval to conduct any enquiry or inquiry or investigation by a police officer into any offence under any law and grant of sanction for prosecution against any Group 'B' official (other than DANICS officers) or Group 'C' official shall be done on the basis of the recommendation made by the Director of the Directorate of Vigilance or the Vigilance Officer of the concerned Department, as the case may be, directly to the appointing authority of such official:

Provided that if the unresolved difference of opinion is not resolved between the Director of the Directorate of Vigilance or the Vigilance Officer of the concerned Department, as the case may be, and the appointing authority concerned about the course of action to be taken, the matter shall be reported by the appointing authority to the next higher authority for appropriate direction.

(3) The Chief Vigilance Officer-cum-Chief Secretary shall exercise general superintendence and control over Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Branch.

9. Communication with Union Public Service Commission and other Departments with respect to service matters.- (1) The Lieutenant Governor shall consult the Union Public Service Commission on all matters on which the Commission is required to be consulted under clause (3) of article 320 of the Constitution and in every such case he shall not make any order otherwise than in accordance with the advice of the Union Public Service Commission unless authorised to do so by the Central Government.

(2) Notwithstanding anything contained in any other rule, regulations, order, office order, circular, office memorandum, guideline, and such other matter and subject to provisions of sub-rule (1), all correspondence with Union Public Service Commission or the Central Government or any Department within or outside the Government of National Capital Territory of Delhi regarding the service matters in connection with the

administration of National Capital Territory shall be conducted by or under the authority of the Chief Secretary or the Secretary of the Department concerned.

10. Certain powers of Central Government to be exercised by the Lieutenant Governor.- Save as otherwise provided in these rules, the Lieutenant Governor shall, with respect to the conditions of service of officers and employees, continue to exercise such powers and perform such functions as entrusted to him, under the provisions of these rules and orders issued by the Central Government.

11. Residuary matters.- The Lieutenant Governor may, after approval of the Central Government, issue orders to regulate any matters relating to conditions of service of officers or other employees, for which there is no provision in these rules; and until such orders are issued, such matters shall be regulated by the rules, regulations and orders as applicable to the officers and other employees of the Central Civil Services.

12. Savings.- All recruitment rules, any other rules and any regulations, orders, office orders, circulars, office memorandums, guidelines, and such other matters relating to service matters and any proceedings thereunder, issued or initiated by the Central Government or the Lieutenant Governor or the appointing authority, which have been issued or initiated prior to the commencement of the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2023 (19 of 2023), shall continue to be in force, unless amended by the Central Government or the Lieutenant Governor or the appointing authority, as the case may be, subject to the provisions of section 45H.

[F. No. 14012/06/2023-Delhi-I]

PRAVEEN KUMAR Rai, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA